श्री युद्धवीर सिंह : प्रश्न के भाग (डी) में जो यह पूछा गया है कि क्या विभिन्न प्रान्तों में रेवेन्यु पर सरचार्ज बढ़ाने से देश में पैदावार पर कोई असर पड़ा है या नहीं, स्टेटमेंट में इस का उत्तर बहुत साफ़ नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अपने किसी माध्यम से कोई सरवे किया है, जिसके आधार पर वह बता सके कि इस सरचार्ज का पैदावार पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है, और वह किसानों पर बोझ बन कर तो नहीं आया है ।

Shri C. Subramaniam: I cannot answer for the whole country. But I have not received any complaint or report that because of this surcharge the production has been affected.

Shri Surendranath Dwivedy: Has the Minister any knowledge or information whether the Central Government at any time considered the question of remitting land revenue, so far as small peasants are concerned, and imposing agricultural income-tax?

Shri C. Subramaniam: So far we have not considered this matter at the governmental level.

* **समान व्यवहार संहिता**

\+

*454. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्रीमती रेणुका राय :

क्या विधि मंत्री 27 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1725 के सम्बन्ध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी सम्प्रदायों और धर्मों के लिये एक समान व्यवहार संहिता तैयार करने के बारे में इस बीच कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समिति नियुक्त की गई थी अथवा विशेषज्ञों की राय ली गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : संविधान के अनुच्छेद 44 में यह स्पष्ट है कि सारे देश के लिए एक कामन कोड बनाया जायेगा । जब संविधान को लागू हुए पंद्रह वर्ष व्यतीत हो गये हैं, तो सरकार के मार्ग में अब तक ऐसी कौन सी कठिनाइयां रही हैं, जिन के कारण इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका ? क्या इस बारे में शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : संविधान के आर्टिकल 44 के बनते वक़्त भी इस की बहुत मुखालिफ़त हुई थी । कांस्टीट्युएन्ट एसेम्बली में जो मुसलमान मेम्बर साहब बोले थे, उन सब ने इस की मुखालिफ़त की थी । उस के बाद गवर्नमेंट ने चन्द साल हुए यह तजवीज़ की कि इस बारे में एक कमेटी मुकर्रर की जाये । उस की भी बहुत मुखतलिफत हुई और वह तजवीज छोड़ दी गई । फिर जब पिछले सैशन में यहां पर यह सवाल पूछा गया, तो यहां भी एक मैम्बर साहब ने कहा कि यह हम पर कोअर्शन होगा, यह एक मजहबी बात है और गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ नहीं करना चाहिए । यह बात नहीं है कि गवर्नमेंट को इस की तरफ़ ध्यान नहीं है, या गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती है । गवर्नमेंट चाहती है कि आर्टिकल 44 में आगे कार्यवाही की जाये, मगर इस बारे

में बहुत सी मुश्किलात हैं । मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि मैंने यह सोचा है कि मैं इस मामले को स्टेट्स की राय जानने के लिए भेजूं, क्योंकि यह कान्करेन्ट लिस्ट का मामला है और कान्करेन्ट लिस्ट के मुताल्लिक यह कन्वेशन है कि चूंकि स्टेट्स को इस बारे में पावर है, इसलिए स्टेट्स को भी कनसल्ट किया जाये । मैं चाहता हूं कि इस बारे में स्टेट्स को कनसल्ट किया जाये और पार्लियामेंट के मेम्बरों में जो कम्युनिटीज के रिप्रेजेन्टेटिव हैं, उनको भी कनसल्ट किया जाये । उसके बाद जो तस्वीर सामने आयेगी, उन से मालूम होगा कि किस हद तक और किस किस मामले में कानून बनाया जा सकता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, पिछले पंद्रह सालों ने संविधान के अनुच्छेद की बराबर उपेक्षा सरकार इस लिए करती रही है कि कुछ धर्म-विशेष के मानने वाले इस के विरुद्ध थे या कुछ व्यक्तिगत प्रभाव इस प्रकार के पड़े कि सरकार इन पंद्रह वर्षों में इस अनुच्छेद को कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकी और अब वह राज्य सरकारों से परामर्श लेने की बात कर रही है । क्या सरकार को और विशेष रूप से विधि मंत्रालय को इस बात की भी जानकारी है कि हमारे देश की जनसंख्या के 1961 के आंकड़े स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि एक समान व्यवहार संहिता न होने के कारण एक विशेष वर्ग की जनसंख्या का अनुपात बहुत बढ़ रहा है और दूसरा वर्ग घट रहा है ? क्या सरकार और विधि मंत्री इस सदन के द्वारा देश को इस प्रकार का आश्वासन दे सकेंगे कि देश में एक समान व्यवहार संहिता बनाने के लिए, और जनसंख्या की समान वृद्धि बनाए रखने के लिए, इस विषय में कोई निर्णय जल्दी लिया जायेगा और इस मामले को अब राज्य सरकारों की राय लेने के नाम पर नहीं टाला जायेगा ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : शास्त्री जी ने जो बताया है, उस पर जरूर गौर किया जायेगा । सोशल रिफार्म्ज के मामले में बहुत जल्दी होना बड़ा मुश्किल है । मगर इस बात की कोशिश की जायेगी कि शास्त्री जी ने जो बताया है, उस पर ध्यान करके, और जैसा कि मैंने बताया है, हम इस बारे में स्टेट्स की राय लेंगे कि क्या काम किया जाये ।

Shrimati Renu Chakravartty: It was stated in this House on more than one occasion that prior to introducing a Common Civil Code steps would be taken to bring many of the social laws on par and we began with the Hindu Marriage Code. After that, I would like to know why is it that the Government has quietly shelved the Select Committee Report on the Marriage law for Christians? Now it is said that they are going to send back the entire matter to the States for opinion. If it is the object that the matter should be remitted to the States for their views, may I know why you did not do it in the case of the Hindu Marriage Bill? Because, you knew that the States would not do it.

Shri C. R. Pattabhi Raman: So far as the Christion Marriage Bill is concerned, it is quite true that after introduction in the Lok Sabha and reference to the Joint Committee, it is now pending before the Lok Sabha.

Shrimati Renu Chakravartty: You are shelving it.

Shri C. R. Pattabhi Raman: I do concede there is delay.

Shri U. M. Trivedi: Are you keeping it pending or shelving it?

Mr. Speaker: The Joint Committee headed by Shrimati Renu Chakravartty did laborious work for a very long time and opinions were invited on this Bill. Now, what is the decision that the Government have taken?

Shri C. R. Pattabhi Raman: Because of the question of priority, it is still pending. In fact, because of priority,

there is delay even in converting Ordinances into Acts. Yet, I am sure. . .

Mr. Speaker: Shri Kachhavaiya.

Shri Warior: Could the Government give an assurance that it will be brought forward in this Parliament itself?

Mr. Speaker: I have not called Shri Warior to put a supplementary.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने आचार संहिता की बात जो कही है इस में कुछ विशेष जातियों को कुछ विशेष छूट जो दी गई है, उदाहरण के लिए मुसलमानवर्ग फेमिली प्लानिंग का विरोध करते हैं, मस्जिदों और गिर्जाघरों में विरोध किया जाता है, मुसलमान चार शादी कर सकते हैं, हिन्दू एक से ज्यादा नहीं कर सकते, यह जो अंतर रखा है इस को बराबर लाने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : तो आप क्या चाहते हैं कि हिन्दू भी चार कर सकें या मुसलमान एक करें ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : सवाल यह है कि सब के लिए समान कानून होना चाहिए । उन को यह विशेष छूट क्यों दी गई है ?

Shri Hem Barua: One woman for all.

Shri G. S. Pathak: The steps that I propose to take have already been stated by me. I have stated that after I obtain the views of the State Governments as also of distinguished representatives of the communities in the Parliament, I shall make an assessment on this question. (*Interruption*) Marriage and succession are the two important subjects which will form the subject-matter of the civil code. We cannot do it piece-meal, one by one. Let us obtain the opinions of the States and let us see what steps we can take.

अध्यक्ष महोदय : सिद्धान्ती ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उत्तर तो आने दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर आ गया । आपने वही सवाल किया है जो पहले शास्त्री जी ने किया था । शास्त्री जी ने चार शादियों से नतीजा निकाला कि आबादी उनकी ज़्यादा बढ़ रही है, आप शादियों तक ही रहे और सवाल वही है । उसका जवाब भी दे दिया है । है ।

Shri U. M. Trivedi: I rise on a point of order. The hon. Law Minister just now said that there are communities in this House. Are we all elected on communal basis or is there recognition of any community as such in this House? From what date has this communal representation been accepted by this Government? Why has he brought this communal picture here?

Shri Brij Raj Singh: He should be asked to explain it. (*Interruption*)

Mr. Speaker: In spite of all this, we have to recognise that there are communities. Why should we shut our eyes to it?

Shri U. M. Trivedi: We are not elected on the basis of any community. Under the Constitution, it has always been the position that a Member elected does not represent a community but only a constituency. In view of this, why is a communal picture being presented today? I was feeling very sorry when the hon. Minister started by saying that at the time of the framing of the Constitution, there was some sort of opposition to this law. I wanted to ask a question, with your permission, on this. Why does he talk of any community in this House? There are no communities in this House. There are only Members in this House.

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : माननीय विधि मंत्री जी के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि वह अपने सिर पर आयी हुई बला को राज्य सरकारों के सिर पर पटक देना चाहते हैं । तो मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि क्या संसार में कभी ऐसा समय आया है या आयेगा जब कि सब एक मत हो जायें ? ऐसी हालत में क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि जो राष्ट्र के हित में एक समान सब की भलाई के नियम हों, उन नियमों को चयन करे और उन का विधान के अनुसार पालन कराये ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : सरकार यह अपना फर्ज समझती है कि यूनिफार्म सिविल कोड सारे देश के लिए एक हो जाय और उसके लिए सरकार कोशिश करे । जैसा कि मैंने अभी बताया यह टालने वाली बात नहीं है । बड़ी जरूरी बात है । जितनी स्टेट्स हैं उन को भी हक है इन मामलों में कानून बनाने का और यह कनवेंशन हो गया है कि जो कोई लिस्ट नम्बर 3 यानी कानकरेंट लिस्ट के सबजेक्ट्स हैं और यह कानकरेंट लिस्ट का सबजेक्ट है, उस में स्टेट्स की राय लो जाये । इससे पेश्तर यहां कानून न बनाया जाये । (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : हिन्दू कोड बिल में राय ली थी आपने ?

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है . . .

अध्यक्ष महोदय : अब चलने दीजिये । आप सवाल करना चाहते हैं, सवाल करिए, व्यवस्था से क्या मतलब है ?

श्री बूटा सिंह : मंत्री महोदय ने कहा है कि कामन सिविल कोड के लिए केन्द्रीय सरकार भिन्न भिन्न राज्य सरकारों की सलाह लेने जा रही है । आज मुल्क में एक ऐसा इम्प्रेशन बन गया है कि कांग्रेस में बहुमत की जाति के लोगों का राज्य है और हमारे देश में इसी पार्टी का राज है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इससे अलावा कि वह भिन्न भिन्न राज्यों की सरकारों की राय लें, क्या उन का यह भी मंतव्य है कि देश में जो कम गिनती के लोग हैं, धार्मिक संस्थाएं या धार्मिक लोग जो थोड़ी गिनती में हैं, उनकी राय को पूरा पूरा ध्यान में रखते हुए क्या उन के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचने देंगे ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैंने तो अभी अर्ज किया है कि जितने मेम्बर्स पार्लियामेंट हैं, और जो खास खास लीडर्स हैं, उन की राय ली जायगी और उन की राय पर गौर किया जायेगा ।

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं ला मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या संसार के किसी और मुल्क में सिविल ला की यह हालत है जैसी कि हमारे मुल्क में छीछालेदर कर रखा है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : और बहुत से मुल्कों में जो हालत है, वह इस मुल्क की हालत से मुख्तलिफ है । आप को ख्याल है अरब कंट्रीज का । वहां पर मेजारिटी और लोगों की है । यहां पर हम को सब को मिलकर रहने का हमारा उसूल है और जहां तक हो सब की मर्जी से कानून बनाना चाहिए ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को यह पता है कि सृष्टि की उत्पति से लेकर और कांग्रेस के राज्य काल तक वैदिक हिन्दुओं में यह तलाक प्रथा नहीं थी और लड़की का पिता की जायदाद में हक नहीं होता था बल्कि पति के साथ श्वसुर की जायदाद में हक होता था । तो जब आप इस कानून को पास करने चले तो क्या आपने वैदिक हिन्दुओं की राय को मान लिया था जो आपने पास

कर दिया और यदि नहीं तो, अब दूसरों पर उस को लागू क्यों नहीं करना चाहते, दूसरों से क्यों पूछना चाहते हैं ? और लागू करना चाहेंगे तो चुनावों से पहले लागू करेंगे या पीछे ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं इस वक्त यह नहीं कह सकता कि आइन्दा कार्यवाही किस वक्त की जायगी एलेक्शन से पहले या एलेक्शन के बाद । जब स्टेट्स का जवाब आ जायेगा उस वक्त इस पर गौर किया जायेगा कि आइन्दा क्या कदम उठाया जाये और क्या कार्यवाही की जाये । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हिन्दू कोड बिल के बारे में भी राय ली थी . . . .

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि हिन्दू कोड के वक्त क्या हिन्दुओं के सेंटीमेंट्स का ख्याल किया गया था, जो मुसलमानों का किया जा रहा है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं इस वक्त इस का जवाब नहीं दे सकता कि उस वक्त किस चीज का ख्याल किया गया और किस का नहीं किया गया ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय . . . .

अध्यक्ष महोदय : कछवाय साहब, यह आप का सवाल नहीं है कि आप उठ कर बाधा डाल रहे हैं । मैं आप से बहुत दफ़ा कह चुका हूं, सवाल किसी का होता है और आप बीच में खड़े हो जाते हैं और रुकावट डालते हैं । वह स्वामी जी पूछ रहे हैं तो क्या आपका मतलब है कि वह नहीं पूछ सकते ?

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया था कि हमारे वैदिकों में सृष्टि की उत्पत्ति से कांग्रेस के राज्य काल तक कोई तलाक नहीं होता था . . .

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री रामेश्वरानन्द : और वह पास कर दिया गया इस शासन में बिना उनके पूछे । तो अब जब दूसरों पर लागू करने का सवाल आ रहा है तो आप क्यों पूछने की बात कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यही बात तो जवाब दे रहे हैं कि मैं नहीं कह सकता कि वह बिना पूछे किया गया था ।

Shri Badrudduja: I deeply appreciate the observations of the hon. the Law Minister. He said that the various States must be consulted on this vital question. This is a matter of far-reaching significance for the various communities also and, therefore, the various communities must also be consulted on this. My hon. friend over there suggested that while considering this vital question, it was necessary that the various communities and other representatives should also be consulted and their opinion taken into serious consideration. Otherwise, you cannot pass a legislation here by sheer force of numbers on a question which vitally affects the religious and cultural interests of various communities in the country.

Mr. Speaker: Next question.

Supply of inferior quality wheat

+

***456. Shri Ram Sewak Yadav:**
Shri Maurya:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:
Shri S. C. Samanta:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri D. C. Sharma:
Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Sonavane:
Shri Y. D. Singh:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to some complaints